

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 577]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2013—पौष 9, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 1-7-2013-बाईस-पं. 2.—मध्यप्रदेश पंचायत शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन जिसे कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7-क में, उप नियम (3), (4) तथा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

- “(3) ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर परीक्षा लिए बिना, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी कि सरकार द्वारा अवधारित की जाए, नियोजित किए जा सकेंगे.
- (4) ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षकों का, जो मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2005 में विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों, ऐसे नियोजन के तीन वर्ष के पश्चात् इस शर्त के अध्वधीन रहते हुए सहायक अध्यापक के पद पर संविलयन किया जा सकेगा कि उन्हें संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर डी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा.”

No. F. 1-7-2013-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby makes the amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida

Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules, 2005 the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 7-A, for sub rule (3), (4) and (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

- “(3) The Gurujis and supervisors who are presently working under the Madhya Pradesh Education Guarantee Scheme may be employed on the post of Samvida Shala Shikshak Grade-3 without taking examination, as per procedure as may be determined by the Government.
- (4) Such Gurujis and Supervisions, who possess educational qualification prescribed in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Condition of Contract) Rules, 2005, may be merged after three years of such employment on the post of Assistant Adhyapak subject to the condition that they shall have to undergo D. Ed. training within three years from the date of employment on the post of Samvida Shala Shikshak Grade-3.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.